इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 376] भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 अगस्त 2011—श्रावण 15, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2011

क्र. 3646-274-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 अगस्त, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०११

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ४ का संशोधन.
३. धारा १० का संशोधन.
४. धारा ३३ का संशोधन.
५. धारा ६४-क का अंत:स्थापन.
६. अनुसूची-१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०११

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक 4 अगस्त, 2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 6 अगस्त, 2011 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा ३ तथा ६ के उपबंध १ अप्रैल, २०११ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

(ख) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध, मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ में, उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३ क) यदि अपील बोर्ड के कारबार में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य बकाया होने के कारण, राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि अपील बोर्ड के सदस्यों की संख्या में तत्समय वृद्धि की जानी चाहिए, तो राज्य सरकार सम्यक्‌रूप से अर्हित व्यक्तियों को अपील बोर्ड के अतिरिक्त सदस्यों के रूप में, दो वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त कर सकेगी.''.

धारा १० का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (एक) में, शब्द, अंक, कोष्ठक तथा अक्षर ''धारा १६ के अधीन करमुक्त घोषित किए गए माल या धारा १४ की उपधारा (१ ख) के अधीन अधिसूचित माल'' के स्थान पर, शब्द, अंक, कोष्ठक तथा अक्षर ''धारा १४ की उपधारा (१ ख) के अधीन अधिसूचित माल से भिन्न धारा १६ के अधीन करमुक्त घोषित किए गए माल'' स्थापित किए जाएं.

धारा ३३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३३ में, उपधारा (१) में, शब्द, अंक, तथा कोष्ठक ''तथा कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) की धारा ५३० के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए'' का लोप किया जाए.

धारा ६४-क का अन्त:स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा ६४ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अपराधों का शमन.

''६४-क. (१) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां संस्थित किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात्, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अपराध के लिए आरोपित किया गया है, दस हजार रुपए से अनधिक की ऐसी राशि का, जैसा कि आयुक्त अवधारित करे, भुगतान करने पर, उस अपराध के शमन की अनुज्ञा दे सकेगा :

परन्तु जहां अपराध धारा ६४ की उपधारा (१) के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के अधीन आरोपित हो जाता है और कर की रकम जो ऐसे व्यक्ति द्वारा उस दशा में देय होती जबकि उसने इस अधिनियम के उपबंधों का पालन किया होता, पांच सौ रुपए से अधिक है, वहां आयुक्त, ऐसी राशि का भुगतान करने पर जो उस रकम के दुगने से अधिक न हो, शमन की अनुज्ञा दे सकेगा.

(२) ऐसी रकम का भुगतान करने पर, जैसी कि उपधारा (१) के अधीन आयुक्त द्वारा अवधारित की जाए, अभियुक्त व्यक्ति उन्मोचित् हो जाएगा और उसके विरुद्ध उसी अपराध के संबंध में कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी.''.

६. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में, अनुक्रमांक ३ के सामने, कालम (२) में, शब्द ''कपास्या खली तथा सरसों खली'' के स्थान पर, शब्द ''कपास्या खली, सरसों खली तथा मक्का खली'' स्थापित किए जाएं. **अनुसूची-१ का संशोधन.**

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2011

क्र. 3647-274-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 24, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 24 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH VAT (SECOND AMENDMENT) ACT
2011

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 4.
3. Amendment of Section 10.
4. Amendment of Section 33.
5. Insertion of Section 64-A.
6. Amendment of Schedule I.

MADHYA PRADESH ACT
No. 24 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH VAT (SECOND AMENDMENT) ACT, 2011

[Received the assent of the Governor on the 4th August, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th August, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Second Amendment) Act, 2011. **Short title and commencement.**

(2) (a) the provision of Section 3 and 6 of this amending Act shall be deemed to have come into force from 1st April, 2011.

(b) The remaining provisions of this amending Act shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 4.

2. In Section 4 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(3A) If by reason of any temporary increase in the business of the Appellate Board or by reason of arrears of work therein, it appears to the State Government that the number of members of the Appellate Board should be for the time being increased, the State Government may appoint duly qualified persons to be additional members of the Appellate Board for such period not exceeding two years as it may specify.".

Amendment of Section 10.

3. In Section 10 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (b), in sub-clause (i), the words, figures, bracket and letter "goods declared tax free under section 16 or the goods notified under sub-section (1B) of Section 14", the words, figures, bracket and letter "goods declared tax free under section 16 other than the goods notified under sub-section (1B) of Section 14" shall be substituted.

Amendment of Section 33.

4. In Section 33 of the Principal Act, in sub-section (1), the words, figures and bracket "and subject to the provisions of Section 530 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956)" shall be omitted.

Insertion of Section 64-A.

5. After Section 64 of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely:—

Compounding of offences.

"64-A.(1) Subject to such conditions as may be prescribed, the Commissioner may, either before or after the institution of proceedings under this Act, permit any person charged with an offence under this Act or any rule made thereunder, to compound the offence on payment of such sum not exceeding ten thousand rupees as the Commissioner may determine:

Provided that where the offence charged is under clause (b), (c) or (d) of sub-section (1) of Section 64 and the amount of tax which would have been payable by such person had he complied with the provisions of this Act is more than five hundered rupees, the Commissioner may allow composition on payment of a sum not exceeding twice such amount.

(2) On payment of such sum as may be determined by the Commissioner under sub-section (1), the accused person shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of the same offence.".

Amendment of Schedule I.

6. In Schedule I to the Principal Act, against serial number 3, in column (2), for the words "cotton seed oil cake and mustard oil cake", the words "cotton seed oil cake, mustard oil cake and Makka Khali" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.